भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 452**

उत्तर देने की तारीख 02 फरवरी, 2026

सोमवार, 13 माघ, 1947 (शक)

**स्किल इंडिया कार्यक्रम का पुनर्गठन**

**452. श्रीमती सुप्रिया सुले; श्री भास्कर मुरलीधर भगरे; प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़; डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे; श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:**

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने 2022-23 से 2025-26 तक स्किल इंडिया कार्यक्रम को जारी रखने और पुनर्गठित करने की मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2024-25 के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितने अभ्यर्थी प्रशिक्षित रोजगारोन्मुखी या नियोजित हुए हैं और क्या लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी कमी रह गई है और यदि हां, तो इसके घटक-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के पिछड़े, जनजातीय और दूरस्थ जिलों में स्किल इंडिया कार्यक्रम की असमान पहुंच पर ध्यान दिया है, जिसके कारण हाशिए पर रहने वाले लोग छूट गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 2022-23 से अब तक विशेषकर महाराष्ट्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और क्या विभिन्न जिलों में असमानताएं बनी हुई हैं;

(ङ) क्या महाराष्ट्र में स्किल इंडिया कार्यक्रम और पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा होने के बावजूद कम लोगों को ही रोजगार प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं; और

(छ) क्या पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण गुणवत्ता, उद्योग से संपर्क और प्रशिक्षणोत्तर सहायता से संबंधित मुद्दों को चिह्नित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 7 फरवरी 2025 को कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) की केंद्रीय क्षेत्रक योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। एसआईपी में तीन घटक अर्थात् (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), (ii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) और (iii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) शामिल हैं ।

(ख) वर्ष 2024-25 के दौरान एसआईपी के अंतर्गत प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त/नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:

| **योजना** | **प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त/नियुक्त उम्मीदवार** |
|---|---|
| पीएमकेवीवाई | 20,38,319 |
| जेएसएस | 5,00,469 |
| एनएपीएस | 9,85,041 |

निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या में कमी का कारण एसआईपी का चरणबद्ध कार्यान्वयन है।

(ग) एसआईपी के अंतर्गत, योजनाएँ मांग-आधारित हैं और देश भर में हाशिए पर पड़े समूहों सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशलीकरण और उन्नत कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसमें पिछड़े, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

महाराष्ट्र के हाशिए पर पड़े समूहों और आकांक्षी जिलों के उम्मीदवारों का घटक-वार विवरण, जिन्हें वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (31 दिसंबर 2025 तक) की अवधि के दौरान एसआईपी के तहत प्रशिक्षित / अभिविन्यस्त / नियुक्त किया गया है, नीचे दिया गया है

| **हाशिए पर पड़े समूह/आकांक्षी जिले** | **पीएमकेवीवाई** | **जेएसएस** | **एनएपीएस** |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 17,637 | 25,194 | 1,05,717 |
| अनुसूचित जनजाति | 5,402 | 24,272 | 52,036 |
| ओबीसी | 46,455 | 53,012 | 2,55,199 |
| महिलाएँ | 59,317 | 1,22,182 | 2,01,719 |
| आकांक्षी जिले | 6,837 | 20,089 | 2,775 |

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा हाशिए पर पड़े समूहों और पिछड़े, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में एसआईपी की पहुंच बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:

(i) एमएसडीई हाशिए पर पड़े वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं, जैसे कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय की प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन), गृह मंत्रालय का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी), नेशनल एक्शन फॉर मेकनाइजड सैनिटेशन इको सिस्टम (एनएएमएएसटीई) आदि के तहत कौशलीकरण घटक को लागू कर रहा है।

(ii) इसके अलावा, जेएसएस एक समुदाय-संचालित कौशलीकरण योजना है जो महिलाओं और समुदाय के अन्य अपवंचित वर्गों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को घर पर ही कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। जेएसएस के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण लचीला, किफायती और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और समाज के किसी भी अन्य लाभवंचित समूह के लिए अत्यधिक सुलभ है।

(iii) धरती आबा - जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत, एमएसडीई ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के (लास्ट माइल) कौशलीकरण को बढ़ावा देने के लिए जेएसएस योजना के माध्यम से एक पहल शुरू की है। इस प्रयास के तहत, 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 30 जनजातीय जिलों में 30 जनजातीय कौशलीकरण केंद्र (टीएससी) स्थापित किए गए हैं।

(घ) वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान (दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक) महाराष्ट्र में एसआईपी के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का घटकवार विवरण निम्नानुसार है:

| **वित्त वर्ष** | **पीएमकेवीवाई** | **जेएसएस** | **एनएपीएस** |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 14,913 | 52,934 | 1,86,010 |
| 2023-24 | 35,284 | 37,273 | 2,63,265 |
| 2024-25 | 75,368 | 36,861 | 2,78,605 |
| (दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक) | 4,579 | 20,491 | 2,29,709 |

पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग आधारित योजना है। इस योजना के तहत, विभिन्न जिलों/राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ड.) और (च) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) में शामिल उद्योग प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया जाता है।

जेएसएस के अंतर्गत, आजीविका प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है ताकि उम्मीदवारों को उद्यमिता और आजीविका संवर्धन के लिए प्रवृत किया जा सके।

एनएपीएस का उद्देश्य देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाना है।

एसआईडीएच (सिद्ध) पोर्टल पर प्रशिक्षण का ब्यौरा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे संभावित नियोक्तायों से जुड़ सकते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से उम्मीदवार रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच सकते हैं।

(छ) सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत व्यापक सुधारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें आधार-आधारित ई-केवाईसी, चेहरे का प्रमाणीकरण और भू-टैग की गई उपस्थिति, क्यूआर-कोड वाले डिजिटल प्रमाणपत्र, स्किल इंडिया डिजिटल हब पर वास्तविक समय के डैशबोर्ड, एनसीवीईटी के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता और प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता को सशक्त बनाना, कौशल समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्वतंत्र निगरानी, स्पष्ट केपीआई के साथ संशोधित निगरानी दिशानिर्देश और एक दंड और वसूली का एक सशक्त ढांचा शामिल है।

******